International Journal of Arts & Education Research

''बाल श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक समस्या का उद्‌बोधन''

मीनाक्षी*[1]

[1]शोध छात्र, साँईनाथ विश्वविद्यालय, झारखण्ड।

सारांश

बाल श्रम प्रतिषेद्य (निषेध) एवं विनियमन कानून, 1986 के अनुसार बाल श्रम का अर्थ हर, उस काम से है, जो 14 वर्ष व उससे कम उम्र के बच्चे से उसकी इच्छा से या इच्छा के विरुद्ध कराया जाता है। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 से 14 आयु वर्ग का हर चौथा बच्चा बाल श्रमिक है। किसी भी देश का सुनहरा भविष्य, देश की प्रगति व विकास उस देश के बच्चों पर ही निर्भर करता है। अतः जब तक बाल श्रम की इस सामाजिक समस्या को जड़ से समाप्त नहीं किया जायेगा तब तक देश की प्रगति व विकास संभवन नहीं है। प्रस्तुत लेख में भारत में बाल श्रम की स्थिति, बाल श्रम के लिए उत्तरदायी कारणों-गरीबी व निरक्षरता, शिक्षा का रोजगारपरक ना होना, सस्ती दरों पर उपलब्धता इत्यादि बाल श्रम को रोकने के लिए किये गए प्रयासों-भारतीय संविधान में वर्णित बाल श्रम से संबंधित अनुच्छेदों, इंडस परियोजना, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, शैक्षिक प्रयासों इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है तथा मुख्य रूप से उन शैक्षिक सुझावों, प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, बाल श्रमिकों के लिए छात्रवृत्तियाँ, श्रमिक स्कूलों की अवधि बढ़ाकर 5 साल करना, बाल श्रमिकों के लिए आवासीय शिविरों का आयोजन, आवासीय विद्यालय व आश्रमों की स्थापना करना इत्यादि को प्रस्तुत किया गया है, जो बाल श्रम की समस्या को समाप्त करने व बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

IJAER

*Corresponding Author